तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6927/2002/भरतपुर** **भीखा बनाम मूर्तिमंदिर महादेवजी, भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर , सदस्य

उपस्थितः–

श्री यज्ञदत्तशर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण ।

श्री अभिषेकशर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19–8–2021

1–. हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत उपजिला कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कांमा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 2 नियम 2 सीपीसी को खारिज कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत की है ।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1159/0.11 वाके गांव धिलावटी तहसील कामां की बाबत अन्य भूमि के साथ वादी मूर्ति महादेवजी महाराज विराजमान धिलावटी की तरफ से अहतमाम वादी द्वारा मुकदमा न्यायालय में व उनवानी मूर्ति महादेव विराजमान धिलावटी बनाम रामजीलाल वगैरा मु0 नंबर 68/2000 दिनांक 1–1–1990 को पेश किया ।जिसमें आराजी मुत0 जो उक्त प्रकरण में वर्णित की गई है । पूर्व दावे में भी विवादित को वर्णित किया गया है जो राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । उक्त वाद में व पूर्व दावे में वर्णित आराजी व पक्षकार समान है और वादी द्वारा पूर्व दावे में वही अनुतोष चाहा गया है जो विचारण न्यायालय में विचाराधीन है । पूर्ववर्ती वाद संख्या 28/2000 में भीमा व मुरली उर्फ मुरारी पिसरान घनश्याम को प्रतिवादी नंबर 3 व 4 बनाया जाकर दावा पेश किया जो माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । उक्त प्रकरण के तथ्यों को छिपाकर वादी की ओर से दूसरा दावा पेश किया है जो निरस्त योग्य है। एक ही दावे की विषयवस्तु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6927/2002/भरतपुर** **भीखा बनाम मूर्तिमंदिर महादेवजी, भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के बारे में एक साथ दो प्रकरण नहीं चल सकते । इसलिए दावा खारिज योग्य है । अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 2 नियम 2 स्वीकार कर दावा खारिज किया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को अपने निर्णय दिनांक 28–11–2002 द्वारा खारिज कर पत्रावली में आगामी तारीख नियत की । उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व वाद एवं उसके निर्णय की प्रति प्रस्तुत किए जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग एवं नॉनरिजण्ड की परिभाषा में आता है । अतः निगरानी स्वीकार कर सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे । 4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश है, जो निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। 6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के दौरान प्रार्थना–पत्र आदेश 2 नियम 2 सीपीसी पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है कि वाद संख्या 68/2000 उनवान मूर्ति महादेव जी महाराज धिलावटी बनाम रामजीलाल दावा घोषणा व हुक्म इम्तनाई दवामी का है। उसमें प्रार्थीगण के अलावा अन्य प्रतिवादीगण भी है । इसी प्रकार निगरानी 109/2000 उनवानी पूरन वगेरह बनाम मंदिर मूर्ति महादेव धिलावटी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, जिसमें भी पूर्व के वाद एवं इस वाद में अंकित प्रतिवादीगण के अलावा अन्य प्रतिवादीगण भी है तथा आराजी में इस वाद के अलावा अन्य आराजी भी है व पूर्व के वाद निर्णय गुणावगुण पर नहीं हुआ है न ही राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय किया गया है । अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 2 नियम 2 खारिज कर पत्रावली वास्ते जबावदावा हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई । इस प्रकार यह आदेश पूर्णतया अन्तरिम आदेश है जो निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है । इस प्रकार उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है, जिसकी निगरानी पोषणीय नहीं है। माननीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6927/2002/भरतपुर** **भीखा बनाम मूर्तिमंदिर महादेवजी, भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व मण्डल के ''जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम'' निगरानी संख्या 9867/2012/ नागौर के प्रकरण में माननीय पूर्णपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार के अन्तरिम आदेश की निगरानी राजस्व मण्डल में पोषणीय नहीं है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है । 7— अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	